जमानत आवेदन संख्या–684 / 2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार दिनांक 29.07.2026

1. कन्हैया पासवान पुत्र सुशील पासवान.....आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार.....विपक्षी

==========

आवेदक की ओर से : श्री सत्य नारायण सहनी, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

==========

आदेश

29.07.2026 यह नियमित जमानत आवेदन काराधीन / अभियुक्त **1. कन्हैया पासवान** जो दिनांक 27.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, कि ओर से धारा–483 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत कमतौल थाना कांड संख्या–98 / 2026, अन्तर्गत धारा–126(2),115(2),109(1),303(2),352, 351(2),3(5) बी0एन0एस0 जो विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित हैं, में जमानत आवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहॉ दाखिल किया गया, जिसे विचारण एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय में हस्तानांतरण कर भेजा गया।

2. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री अमरेन्द्र नारायण झा को सुना गया।

3. अभियोजन वाद का सारांश सूचक के अनुसार यह है कि दिनांक 04.03.2026 को समय करीब 3 बजे दिन में वह बाजार से घर जा रहा था। पंचायत भवन के नजदीक कन्हैया पासवान को कहा कि आज दारू नहीं बेचो पुलिस पकड़ लेगा। इसी बात पर कन्हैया ने मुदई को ईंटार से माथा, आंख और पूरे शरीर पर मारा, पंजरा और बाह पर गंभीर रूप से दांत से काटा। फिर खींचकर घर के अन्दर ले गया, सभी मुदालहूम लाठी डण्डा लोहे के रॉड से मारा। सोना का हनुमानी गला से छीन लिया। हल्ला पर आये तो ग्रामीण सिंघेश्वर राम को ईंटा से मारकर कलेजा के उपर का हड्डी तोड़ दिया और गला से सोने का हनुमानी छीन लिया। प्रवीण कुमार और नीरज कुमार को भी लाठी डंडा, लोहे के रड एवं ईंट से सभी मुदालहूम सख्त मारपीट किये जिसका ईलाज दो दिन प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल जाले में हुआ। उसके बाद मुदई एवं सिंघेश्वर राम को इलाज हेतु डी0एम0सी0एच0 रेफर कर दिया गया।

4. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक का दाखिल ए0बी0पी0 सं0 918 / 26 वापस ले लिया गया। इसके अलावा आवेदक द्वारा कोई भी अग्रिम जमानत अथवा जमानत आवेदन कहीं दाखिल नहीं किया गया है और ना ही खारिज किया गया है तथा ना ही जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक बिल्कूल निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को पूर्व के विवाद एवं दुश्मनी को लेकर झूठे केस में फंसाया गया है तथा सूचक के द्वारा झूठा एवं बनावटी केस किया गया है। कमतौल थाना कांड सं0 55 / 2026 इस केस का पलटा मुकदमा है जो आवेदक सं0 5 खुशबु देवी द्वारा सूचक एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्री के आधार पर धारा 109(1), 303(2) बी0एन0एस0 केस बनता प्रतीत नहीं होता है जो अंलकृत है। आवेदक बिना कोई गलती के दिनांक 27.06.2026 से काराधीन है। आवेदक / अभियुक्त स्थानीय है तथा न्यायालय के संतुष्टि के लिए उचित राशि

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 29.07.2026**

का बंधपत्र देने को तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा जमानत आवेदन अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई।

6. उभयपक्षों को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस काण्ड में धारा 126(2),115(2),109(1),303(2),352,351(2),3(5) बी0एन0 एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 6, 7, 8, 23 में साक्षियों का बयान तथा कंडिका 22 में वादी का पुनःबयान अंकित है। अभिलेख पर उपलब्ध जख्म प्रतिवेदन के अनुसार जख्मी नीरज कुमार के जख्म प्रतिवेदन में दाहिने हाथ के रिंग फिंगर पर एक जख्म कारित बताया गया है जिसकी प्रकृति साधारण(Simple) है। जख्मी प्रवीण कुमार के जख्म प्रतिवेदन में दो जख्म कारित किया गया है जिसकी प्रकृति साधारण(Simple) बतायी गयी है। जख्मी गोविन्द राम के जख्म प्रतिवेदन में तीन जख्म कारित होना बताया गया है जिसकी साधारण (Simple) बतायी गयी है। जख्मी सिंघेश्वर राम के जख्म प्रतिवेदन में दो जख्म कारित होना बताया गया है जिसकी प्रकृति साधारण(Simple) बतायी गयी है। उभय पक्षों के बीच जमीनी विवाद है तथा दोनों पक्षों के बीच पलटा मुकदमा भी है। कंडिका 32 के अनुसार आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस कांड में अनुसंधान अभी भी जारी है। इस वाद के सह–अभियुक्तों को ए0बी0पी0 सं0 720 / 2026 दिनांक 22.05.2026 तथा ए0बी0पी0 सं0 749 / 2026 दिनांक 15.06.2026 से इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक 27.06.2026 से हीं न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक / अभियुक्त की न्यायिक अवधि को और अधिक बढ़ाने का कोई विशेष कारण परिलक्षित नहीं होता है।

7. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारावधि को ध्यान में रखते हुए, आवेदक / अभियुक्त **1. कन्हैया पासवान** को **10,000 / –** रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूओं के साथ निम्न न्यायालय में बंध–पत्र दाखिल करने पर, निम्न न्यायालय की संतुष्टि होने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि – 1. एक जमानतदार करीबी संबंधी होगा तथा काण्ड के अनुसंधान में सहयोग करेगे 2. आवेदक इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि पुनः इस तरह के अपराध में शामिल नहीं होगा।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

ह0 / –
(उपेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम, दरभंगा।

Date of Judgment/Order	29-07-2026
Date of Reserving Judgment/Order	29-07-2026
Uploading Date	30-07-2026
Uploaded by	Abhay Kumar(steno)